

तारीख
हुक्म

19/10/22

- पत्रावली पेश हुई। वकील वार्दी प्रतिवादी उपस्थित/अनु. पीठासीन अधिकारी राज कार्य से मीटिंग शिविर मुख्यालय से बाहर है पत्रावली पूर्ववत दि०. 2/01/23 को पेश हो।

28/11/22

- पत्रावली पेश हुई मूल पत्र खरिज हो चुका है। प्रा० पत्र 212 पर नोट न रसील पर खरिज किया जाता है। पत्रावली गम्बर से नष्ट की जाकर दाखिल पत्र हो

उपखण्ड अधिकारी
इटवा